

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पत्रांक- 34/लेझा०-७९/२०

.....५८९९....

दिनांक- 06.08.2021

प्रेषक,

मो० जमील,  
उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन)  
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी,  
बिहार।

विषय: मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के तहत Pay Entitlement संशोधन एवं Pay Generation के संबंध में।

प्रसंग- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के विशेष कार्य पदाधिकारी के पत्रांक-854, दिनांक-14.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार नियमित कर्मियों का वेतन विपत्र का निर्माण मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के Software के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। HRMS के अन्तर्गत वेतन विपत्र से संबंधित सभी Makers, Checkers एवं Approvers को विभाग एवं जिला अन्तर्गत मास्टर ड्रेनर के माध्यम से पूर्व में प्रशिक्षित किया गया होगा।

Payroll Generation के पूर्व सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सम्पूर्ण किया जाना आवश्यक है कि HRMS में संधारित राज्य कर्मियों का Pay Entitlement से संबंधित डाटा शुद्ध एवं सही है।

HRMS से अपने स्थापना का माह- मार्च, अप्रैल, मई एवं जून 2021 का वेतन विपत्र तैयार कर CFMS से निकासी एवं की गई वेतन विपत्र के वेतन, भत्ते एवं कटौतियों का पुनः मिलान सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कर लिया जाय। मिलान में किसी प्रकार अन्तर आने पर त्रुटियों का निराकरण प्रशिक्षण में बताये गये विधि एवं Web Portal पर उपलब्ध Pay Entitlement एवं Payroll Generation का प्रशिक्षण विडियो से सहायता प्राप्त कर किया जाय एवं इस कार्य में अधिक कठिनाई होने पर सहयोग एवं समन्वय IT Manager तथा HRMS Help Desk से प्राप्त किया जाय।

अतः अनुरोध है कि HRMS में Pay Entitlement संशोधन हेतु URL- <http://hr-preprod.humanitics.com> पर Login कर के डाटा में आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुये HRMS से माह अप्रैल, मई तथा जून 2021 का वेतन विपत्र तैयार कर CFMS से निकासी की गयी/किये जाने वाले विपत्र से मिलान कर विसंगतियों का शत्-प्रतिशत निराकरण दिनांक 10.08.2021 से पूर्व करने की कृपा की जाय।

  
(मो० जमील)

उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन)  
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पत्रांक- 34/ले०शा०-७९/२०

.....4905.....

दिनांक- 06.08.2021

प्रेषक,

मो० जमील,  
उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन)  
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक,  
अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय: मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के तहत Pay Entitlement संशोधन एवं Pay Generation के संबंध में।

प्रसंग- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के विशेष कार्य पदाधिकारी के पत्रांक-854, दिनांक-14.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार नियमित कर्मियों का वेतन विपत्र का निर्माण मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के Software के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। HRMS के अन्तर्गत वेतन विपत्र से संबंधित सभी Makers, Checkers एवं Approvers को विभाग एवं जिला अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर के माध्यम से पूर्व में प्रशिक्षित किया गया होगा।

Payroll Generation के पूर्व सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सम्पुष्ट किया जाना आवश्यक है कि HRMS में संधारित राज्य कर्मियों का Pay Entitlement से संबंधित डाटा शुद्ध एवं सही है।

HRMS से अपने स्थापना का माह- मार्च, अप्रैल, मई एवं जून 2021 का वेतन विपत्र तैयार कर CFMS से निकासी एवं की गई वेतन विपत्र के वेतन, भत्ते एवं कटौतियों का पुनः मिलान सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कर लिया जाय। मिलान में किसी प्रकार अन्तर आने पर त्रुटियों का निराकरण प्रशिक्षण में बताये गये विधि एवं Web Portal पर उपलब्ध Pay Entitlement एवं Payroll Generation का प्रशिक्षण विडियो से सहायता प्राप्त कर किया जाय एवं इस कार्य में अधिक कठिनाई होने पर सहयोग एवं समन्वय IT Manager तथा HRMS Help Desk से प्राप्त किया जाय।

अतः अनुरोध है कि HRMS में Pay Entitlement संशोधन हेतु URL- <http://hr-preprod.humanitics.com> पर Login कर के डाटा में आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुये HRMS से माह अप्रैल, मई तथा जून 2021 का वेतन विपत्र तैयार कर CFMS से निकासी की गयी/किये जाने वाले विपत्र से मिलान कर विसंगतियों का शत्-प्रतिशत निराकरण दिनांक 10.08.2021 से पूर्व करने की कृपा की जाय।

(मो० जमील)

उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन)  
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

मो० जमील,  
उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन)  
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. उप निदेशक,  
भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना।
2. सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बिहार।

**विषय:** मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के तहत Pay Entitlement संशोधन एवं Pay Generation के संबंध में।

**प्रसंग-** बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के विशेष कार्य पदाधिकारी के पत्रांक-854, दिनांक-14.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार नियमित कर्मियों का वेतन विपत्र का निर्माण मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के Software के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। HRMS के अन्तर्गत वेतन विपत्र से संबंधित सभी Makers, Checkers एवं Approvers को विभाग एवं जिला अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर के माध्यम से पूर्व में प्रशिक्षित किया गया होगा।

Payroll Generation के पूर्व सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सम्पुष्ट किया जाना आवश्यक है कि HRMS में संधारित राज्य कर्मियों का Pay Entitlement से संबंधित डाटा शुद्ध एवं सही है।

HRMS से अपने स्थापना का माह- मार्च, अप्रैल, मई एवं जून 2021 का वेतन विपत्र तैयार कर CFMS से निकासी एवं की गई वेतन विपत्र के वेतन, भत्ते एवं कटौतियों का पुनः मिलान सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कर लिया जाय। मिलान में किसी प्रकार अन्तर आने पर त्रुटियों का निराकरण प्रशिक्षण में बताये गये विधि एवं Web Portal पर उपलब्ध Pay Entitlement एवं Payroll Generation का प्रशिक्षण विडियो से सहायता प्राप्त कर किया जाय एवं इस कार्य में अधिक कठिनाई होने पर सहयोग एवं समन्वय IT Manager तथा HRMS Help Desk से प्राप्त किया जाय।

अतः अनुरोध है कि HRMS में Pay Entitlement संशोधन हेतु URL- <http://hr-preprod.humanitics.com> पर Login कर के डाटा में आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुये HRMS से माह अप्रैल, मई तथा जून 2021 का वेतन विपत्र तैयार कर CFMS से निकासी की गयी/किये जाने वाले विपत्र से मिलान कर विसंगतियों का शत्-प्रतिशत निराकरण दिनांक 10.08.2021 से पूर्व करने की कृपा की जाय।

(मो० जमील)

उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन)  
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पत्रांक- 34/लेझा०-७९/२०

.....५९०३.....

दिनांक- 06.08.2021

प्रेषक,

मो० जमील,  
उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन)  
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी,  
बिहार, पटना।

विषय: मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के तहत Pay Entitlement संशोधन एवं Pay Generation के संबंध में।

प्रसंग- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के विशेष कार्य पदाधिकारी के पत्रांक-854, दिनांक-14.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार नियमित कर्मियों का वेतन विपत्र का निर्माण मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के Software के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। HRMS के अन्तर्गत वेतन विपत्र से संबंधित सभी Makers, Checkers एवं Approvers को विभाग एवं जिला अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर के माध्यम से पूर्व में प्रशिक्षित किया गया होगा।

Payroll Generation के पूर्व सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सम्पुष्ट किया जाना आवश्यक है कि HRMS में संधारित राज्य कर्मियों का Pay Entitlement से संबंधित डाटा शुद्ध एवं सही है।

HRMS से अपने स्थापना का माह- मार्च, अप्रैल, मई एवं जून 2021 का वेतन विपत्र तैयार कर CFMS से निकासी एवं की गई वेतन विपत्र के वेतन, भत्ते एवं कटौतियों का पुनः मिलान सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कर लिया जाय। मिलान में किसी प्रकार अन्तर आने पर त्रुटियों का निराकरण प्रशिक्षण में बताये गये विधि एवं Web Portal पर उपलब्ध Pay Entitlement एवं Payroll Generation का प्रशिक्षण विडियो से सहायता प्राप्त कर किया जाय एवं इस कार्य में अधिक कठिनाई होने पर सहयोग एवं समन्वय IT Manager तथा HRMS Help Desk से प्राप्त किया जाय।

अतः अनुरोध है कि HRMS में Pay Entitlement संशोधन हेतु URL- <http://hr-preprod.humanitics.com> पर Login कर के डाटा में आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुये HRMS से माह अप्रैल, मई तथा जून 2021 का वेतन विपत्र तैयार कर CFMS से निकासी की गयी/किये जाने वाले विपत्र से मिलान कर विसंगतियों का शत्-प्रतिशत निराकरण दिनांक 10.08.2021 से पूर्व करने की कृपा की जाय।

(मो० जमील)

उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन)  
वित्त विभाग, बिहार, पटना।